प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग 1 ::देहरादून:: दिनांक: 25 मार्च, 2023

विषयः- **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022 23 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि अंतरित करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के शासनादेश स0-F.15(3) FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांक: 16.03.2023 के कम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी परिषद सहित) को वित्तीय वर्ष 2022 23 में अनाबद्ध / अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) की प्रथम किश्त हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल ₹43,40,00,000.00 (₹तैंतालीस करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि अंतरित करने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अतरित की जा रही है:

(1) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कियान्वयन के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों हेतु संस्तुत अनुदान के उपयोग हेतु भारत सरकार ने शासनादेश स0-F.15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांक: 28.07.2021 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में ही शहरी विकास विभाग को प्रेषित की गई है। उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शहरी स्थानीय निकायो द्वारा अनुदान की धनराशि का सदुपयोग किया जायेगा।

(2) वित्त अनुभाग 1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 266/(वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/2022, दिनाक: 02.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं विभागीय पत्रावली में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एव छावनी बोर्डो के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।

(3) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमो, नगर पालिका परिषदों एव नगर पचायतों) एवं छावनी बोर्डो को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

(4) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पृथक से खाता खोला जायेगा और इसे वर्ष 2021 22 में पी.एफ.एम.एस. से लिक कर प्रत्येक हस्तातरण को आयोग की अवार्ड अवधि में संरक्षित किया जायेगा।

(5) *राज्य (राज्य वित्त आयोग) को ग्रान्ट इन एड की धनराशि सीधे शहरी स्थानीय निकायों को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसो के बाद किसी भी विलम्ब के लिये राज्य सरकार को यह राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/ राज्य विकास ऋण (SDLs) पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किश्त जारी करनी होगी।* ***उक्त के दृष्टिगत अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांक: 16.03.2023 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति मे ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किश्त के साथ संबंधित निकायों को किया जायेगा, जिसके लिये निदेशक, शहरी विकास विभाग/ संबंधित मुख्य कोषाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।***

(6) अनाबद्ध/ अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन व अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर स्थानीय विशिष्ठ हेतु महसूस की गई आवश्यकताओं पर किया जायेगा।

(7) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के पहले वर्ष में शहरी विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कम से कम 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष के

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:10 PM

I/109905/2023

गैर–लेखा परीक्षित लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि उस वर्ष में पूर्ण अनुदान की धनराशि प्राप्त हो सके।

(8) संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021–22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए 2020 21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

(10) वर्ष 2023–24 से आगे के वर्षों में अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई है:

i. राज्य स्तर पर 2022 23 तक सपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ii. पिछले वर्ष के गैर लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित ऑनलाइन लेखा उपलब्ध हैं।

iii. शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा कर लिया है।

(11) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकडो की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।

(12) अंतरित धनराशि के संबंध मे शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली 2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(14) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायो के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का सकलन कर, सकलित उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी / वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(17) शहरी विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से 01 नई नगर पालिका परिषद तथा 10 नई नगर पंचायतें गठित की गई है। उक्त निकायों को भी निर्धारित प्रक्रियानुसार 15वें वित्त आयोग की धनराशि अंतरित की जा रही है। नई निकायों के सम्मिलित होने से कतिपय निकायों की धनराशि मे कमी / वृद्धि हो सकती है। इस संबंध मे निकायों द्वारा कोई प्रत्यावेदन अथवा दावा नहीं किया जायेगा और ना ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।

(18) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "**15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**", निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(19) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:10 PM

I/109905/2023

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा.

क.सं.	मानक मद का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनाबद्ध / अनिर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि (ह0रू0 में)
1-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 00 200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 01 नगर निगमो हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान 56 सहायक अनुदान (गैर वेतन)	167455.00
2-	लेखाशीर्षक: 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 00 200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एव समनुदेशन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 03 नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान-56 सहायक अनुदान (गैर वेतन)	196759.00
3-	लेखाशीर्षक: 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 00 200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एव समनुदेशन-01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05 नगर पंचायतो हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान 56-सहायक अनुदान (गैर वेतन)	54422.00
4	लेखाशीर्षक 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एव समनुदेशन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 13 केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोमेन्ट बोर्ड हेतु प्राप्त अनटाईड अनुदान 56 सहायक अनुदान (गैर वेतन)	15364.00
	योग	434000.00

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 25-03-2023 15:10:49
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त सबंधित मुख्य / वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबधित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी / मुख्य अधिशासी अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पचायत / छावनी बोर्ड, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:10 PM

I/109901/2023

शासनादेश संख्याः 1 | 10991/ (वि.आ.निदे.)/xxvii(1)/ 2023
::देहरादून:: दिनांक: 25 मार्च, 2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध / अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्डों सम्मलित) को वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि का विवरण

(धनराशि हजार ₹ में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित अंतरण की धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1-नगर निगमः-				
1-	देहरादून	1	देहरादून	63561
		2	ऋषिकेश	8643
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	18729
		4	रूड़की	15323
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	19650
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	13822
		7	रूद्रपुर	15395
5-	पौड़ी गढ़वाल	8	कोटद्वार	12332
योग (1) नगर निगम				**167455**
2-नगर पालिका परिषद				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	6304
		2	रानीखेत	2180
2-	बागेश्वर	3	बागेश्वर	4498
3-	चमोली	4	गोपेश्वर	4341
		5	जोशीमठ	4927
		6	गौचर	2936
		7	कर्णप्रयाग	2729
4-	चम्पावत	8	चम्पावत	2882
		9	टनकपुर	3207
5-	देहरादून	10	मसूरी	10567
		11	विकासनगर	4083
		12	डोईवाला	7817
		13	हरबर्टपुर	2244
6-	हरिद्वार	14	मंगलौर	6733
		15	लक्सर	3685
		16	शिवालिक नगर	4729
7-	नैनीताल	17	नैनीताल	7652
		18	रामनगर	7661
		19	भवाली	2514

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:09 PM

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित अंतरण की धनराशि
1	2	3	4	5
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड्डा	2255
		21	पौड़ी	5696
		22	श्रीनगर	5438
9-	पिथौरागढ़	23	पिथौरागढ़	8674
		24	धारचूला	2876
		25	डीडीहाट	2876
10-	रूद्रप्रयाग	26	रूद्रप्रयाग	3123
11-	टिहरी	27	नरेन्द्रनगर	1932
		28	मुनिकीरेती–ढालवाला	4713
		29	टिहरी	4959
		30	चम्बा	1975
		31	देवप्रयाग	2907
12-	ऊधम सिंह नगर	32	बाजपुर	4348
		33	गदरपुर	3409
		34	जसपुर	7099
		35	खटीमा	7452
		36	किच्छा	9697
		37	सितारगंज	4610
		38	महुआखेड़ा गंज	2212
13-	उत्तरकाशी	39	उत्तरकाशी	5164
		40	बड़कोट	2729
		41	चिन्यालीसौड़	2729
		42	नगला (नव गठित)	8197
योग (2) नगर पालिका परिषदें:–				196759
3–नगर पंचायतें:–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	715
		2	भिक्यासैण	596
		3	चौखुटिया	596
2-	बागेश्वर	4	कपकोट	537
		5	गरूड	596
3-	चमोली	6	नन्दप्रयाग	904
		7	गैरसैंण	1375
		8	पोखरी	972
		9	थराली	707
		10	पीपलकोटी	986
4-	चम्पावत	11	लोहाघाट	1163
		12	बनबसा	580

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:09 PM

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित अंतरण की धनराशि
1	2	3	4	5
5-	देहरादून	13	सेलाकुई (नव गठित)	1589
6-	हरिद्वार	14	झबरेडा	1442
		15	लण्डौरा	2348
		16	भगवानपुर	1477
		17	पीरान कलियर	2530
		18	सुल्तानपुर-आदमपुर (नव गठित)	1385
		19	पाडली गुर्जर (नव गठित)	1869
		20	ढण्ढेरा (नव गठित)	1965
		21	रामपुर (नव गठित)	2335
		22	इमलीखेडा (नव गठित)	1016
7-	पौड़ी गढवाल	23	जौंक (स्वर्गाश्रम)	1341
		24	सतपुली	749
		25	थैलीसैंण (नव गठित)	602
8-	पिथौरागढ़	26	गंगोलीहाट	846
		27	बेरीनाग	896
9-	रूद्रप्रयाग	28	अगस्तमुनी	1316
		29	ऊखीमठ	947
		30	तिलवाडा	596
10-	टिहरी गढवाल	31	कीर्तिनगर	1008
		32	घनसाली	866
		33	लम्बगॉव	596
		34	चमियाला	597
		35	गजा	559
		36	तपोवन (नव गठित)	498
11-	नैनीताल	37	कालाढूंगी	1093
		38	लालकुँआ	1022
		39	भीमताल	2360
12-	ऊधमसिंह नगर	40	दिनेशपुर	1585
		41	केलाखेडा	1454
		42	महुआडाबरा हरिपुरा	1072
		43	शक्तिगढ	1121
		44	सुल्तानपुर	1330
		45	नानकमत्ता	795
		46	गुलरभोज	656
		47	लालपुर (नव गठित)	498

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:09 PM

I/109901/2023

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2022--23 की प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित अंतरण की धनराशि
1	2	3	4	5
13-	उत्तरकाशी	48	पुरोला	1480
		49	नौगॉव	856
योग (3) नगर पंचायतः-				54422
4–छावनी बोर्ड :–				
1-	अल्मोडा	1	अल्मोडा	271
		2	रानीखेत	2294
2-	देहरादून	3	चकराता	622
		4	क्लेमेन्टाउन	2742
		5	देहरादून	6403
		6	लेण्डौर	430
3-	पौडी	7	लैंसडाउन	688
4-	नैनीताल	8	नैनीताल	170
5-	हरिद्वार	9	रूडकी	1744
योग (4) छावनी बोर्ड				15364
महायोग (1+2+3+4)		108		434000

(रैंतालीस करोड चालीस लाख मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 25-03-2023 15:09:26
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 25/03/2023 04:09 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23030070332

आवंटन पत्र दिनांक-27-MAR-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

00--

200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान (3604011930103 से स्थानांतरित)

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	50425000	54422000	50425000	104847000
योग	50425000	54422000	50425000	104847000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,44,22,000 (Rupees Five Crores Forty Four Lacs Twenty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2303:0013

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23030070331

आवंटन पत्र दिनांक-27-MAR-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

00--

200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान (3604011920103 से स्थानांतरित)

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	158567000	196759000	158567000	355326000
योग	158567000	196759000	158567000	355326000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.19,67,59,000 (Rupees Nineteen Crores Sixty Seven Lacs Fifty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2303:0012

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या - | आवंटन आई डी-H23030070330
अनुदान संख्या-007 | आवंटन पत्र दिनांक-27-MAR-2023

लेखा शीर्षक
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
00--
200-अन्य विविध मुआवजा और अराइजमेंट
01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान (3604011910103 से स्थानांतरित)
Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	194211000	167455000	194211000	361666000
योग	194211000	167455000	194211000	361666000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.16,74,55,000 (Rupees Sixteen Crores Seventy Four Lacs Fifty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2303:0011
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या - | आवंटन आई डी-H23030070333

अनुदान संख्या-007 | आवंटन पत्र दिनांक-27-MAR-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 00--

200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट | 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

13-केन्द्रीय वित्त आयोग से कैंटोमेंट बोर्ड हेतु प्राप्त अनुदान | Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	14797000	15364000	14797000	30161000
योग	14797000	15364000	14797000	30161000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,53,64,000 (Rupees One Crore Fifty Three Lacs Sixty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2303:0014

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन